



संख्या : 4498 / जी०एस०(शिक्षा) / A11-258(1) / 2025

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 23 मार्च, 2026

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव पंजीकरण क्रमांक 240115115708, दिनांक 14.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें साईं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड एलाईड साईंसेज, राजपुर रोड़, देहरादून को बी०एच०ए०, एम०पी०एच०, बी०कॉम०, बी०कॉम०-आनर्स, बी०एससी०-एग्रीकल्चर, बी०एससी०-हॉर्टीकल्चर, एम०एससी०-एग्रीकल्चर एवं एम०एससी०-हॉर्टीकल्चर पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2019-20 से 2024-25 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट	अस्थायी सम्बद्धता विस्तारण की अवधि।
1	2	3	4	5
01	साईं इन्स्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड एलाईड साईंसेज, राजपुर रोड़, देहरादून।	बी०एच०ए०	120 सीट	2019-20 से 2024-25 (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25)
		एम०पी०एच०	90 सीट	
		बी०कॉम०	60 सीट	
		बी०कॉम०-आनर्स	60 सीट	
		बी०एससी०-एग्रीकल्चर	120 सीट	
		बी०एससी०-हॉर्टीकल्चर	80 सीट	
		एम०एससी०-एग्रीकल्चर	60 सीट	
		एम०एससी०-हॉर्टीकल्चर	40 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए संस्थान से प्राभूति राशि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14.12.2016 के अनुसार पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेगा। यदि विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-26 के लिए इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सत्र 2025-26 के प्रस्ताव पर प्राभूति अपूर्ण होने की दशा में विचार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय, उक्त संस्थान के बी०एससी०-फॉरेस्ट्री, एम०एससी०-फॉरेस्ट्री, एम०एच०ए० पाठ्यक्रमों के सत्र 2019-20 से 2024-25 के प्रस्तावों को कुलपति की संस्तुति सहित पृथक से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा।
- विश्वविद्यालय, उक्त संस्थान के बी०पी०एच० एवं बी०एससी०-आई०टी० के सत्र 2023-24 हेतु पूर्व में प्रेषित नवीन अस्थायी सम्बद्धता प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र संख्या 1159, दिनांक 12.01.2024 के क्रम में अपेक्षित निराकरण आख्या पृथक से इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा, ताकि बी०पी०एच० एवं बी०एससी०-आई०टी० का सत्र 2023-24 के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सके, तदोपरान्त ही इन पाठ्यक्रमों की सत्र 2024-25 की सम्बद्धता पर विचार किया जाना उचित होगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by ^{भवदीया,}
Reena Joshi
Date: 23-03-2026
16:03:17 (रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : 4498/जी०एस०(शिक्षा)/A11-258(1)/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by ^{आज्ञा से,}
Anup Singh Negi
Date: 23-03-2026
16:11:54 (अनूप सिंह नेगी)
कुलाधिपति के अनुसचिव।